भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-218
उत्तर देने की तारीख-04/12/2023

नई शिक्षा नीति द्वारा शिक्षा प्रणाली में लचीलापन

†218. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली को एक नया आयाम देने और इसे विश्व स्तर पर प्रेरणादायी बनाने में उत्प्रेरक सिद्ध हो रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा प्रणाली में अभूतपूर्व लचीलापन लाया है और इसके पाठ्यचर्या सुधार ने विभिन्न विषयों और कार्यकलापों के बीच की खाई को पाटकर एक अधिक संतुलित और एकीकृत शैक्षिक ढांचा तैयार किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) और (ख): राष्ट्रीय शिक्षा नीति **2020 (**एनईपी **2020)** का लक्ष्य हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान देना है। नीति में एक नई प्रणाली बनाने के लिए इसके विनियमन और अभिशासन सहित शिक्षा संरचना के सभी पहलुओं में संशोधन और सुधार का प्रस्ताव है**,** जो भारत की परंपराओं और सामाजिक मूल्यों का निर्माण करते हुए सतत विकास लक्ष्य 4 सहित 21वीं सदी की शिक्षा के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के अनुरूप है।
(ग**)** और **(**घ**):** राष्ट्रीय शिक्षा नीति **2020** के मूलभूत सिद्धांतों में से एक लचीलापन है**,** ताकि शिक्षार्थियों के पास अपने अधिगम मार्ग और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो**,** और जिससे वे अपनी प्रतिभा तथा रुचि के अनुसार जीवन में अपना रास्ता स्वयं चुन सकें। इसके अतिरिक्त**,** एनईपी 2020 में अधिगम के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य हानिकारक पदानुक्रम और साइलो को समाप्त करने हेतु कला और विज्ञान के बीच**,** पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच**,**

व्यावसायिक और शैक्षणिक विषयों आदि के बीच कोई कठोर पृथक्करण का प्रावधान नहीं है। इस दिशा में, मूलभूत चरण हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ एफएस) और स्कूल शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) शुरू किए गए हैं, जो अधिक संतुलित और एकीकृत शैक्षिक रूपरेखाएँ हैं।

इसी प्रकार, उच्चतर शिक्षा में, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क द्वारा व्यापक बहु-विषयक/अंतर-विषयक, लचीले पाठ्यक्रम सहित समग्र शिक्षा, विषयों के रचनात्मक संयोजन, बहु मार्गों, समतुल्यता स्थापित करने, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) के मंच का उपयोग करके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता की सुविधा प्रदान करता है; और इस प्रकार बहु निकास/प्रवेश दिशानिर्देशों के साथ सामंजस्य में आजीवन अधिगम और पूर्व शिक्षा की पहचान को सक्षम बनाता है। लचीलेपन को सुनिश्चित करने के लिए कई अन्य पहलें की गई हैं जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में पेश किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों में बहु प्रवेश और निकास के लिए दिशानिर्देश, डिग्री प्रदान करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच या भीतर निर्बाध छात्र गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त करना एवं छात्रों को अपने अधिगम मार्ग को चुनने की सुविधा प्रदान करना; औपचारिक और गैर-औपचारिक शिक्षा मोड के मार्ग को शामिल करते हुए अधिगम हेतु कई मार्गों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को जारी रखने संबंधी दिशानिर्देश; अवर स्नातक कार्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या और क्रेडिट फ्रेमवर्क अध्ययन के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने, एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाने, अधिगम हेतु वैकल्पिक तरीकों (ऑफ़लाइन, ओडीएल और ऑनलाइन अधिगम, और अधिगम के हाइब्रिड तरीकों) में बदलाव करने के लचीलेपन की सुविधा प्रदान करना।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने मौजूदा पाठ्यक्रम को नया रूप दिया है और परिणाम आधारित मॉडल पाठ्यक्रम लॉन्च किया है। छात्र प्रशिक्षुता को पुनः परिभाषित किया गया है और अनिवार्य बनाया गया है। उभरते क्षेत्रों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), ब्लॉक चेन, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, डाटा साइंस, साइबर सुरक्षा, **3**डी प्रिंटिंग तथा डिजाइन और ऑग्मेंटेड रियलिटी/वर्चुअल रियलिटी क्षेत्रों के पाठ्यक्रमों के लिए मॉडल पाठ्यचर्या भी तैयार की गई है।

***